भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेस-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर

Government of India, Min. of Commerce & Industry, Deptt. of Commerce,
Office of the Development Commissioner
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
Noida Dadri Road, Phase-II, NOIDA-201305, Distt. Gautam Budh Nagar (UP)

फ०सं० NSEZA/02/2016-EM/ 8047
26/7/18

दिनांक : 25.07.2018

परिपत्र

विषय: नौएडा प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश का अग्रेषण

उपरोक्त विषय पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं० नॉएडा/मु०वा०नि०/2018/1399 दिनांक 06.07.2018 जानकारी हेतु संलग्न है।

25/7/18
(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त
एवं सम्पदा अधिकारी

संलग्नक: कार्यालय आदेश सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2018/1399 दिनांक 06.07.2018

सेवा में :
सभी इकाई,
नौएडा एसईजेड, नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ एवं वास्तुकला व नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन,सैक्टर-6,नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर

पत्र सं0-नौएडा/मु0वा0नि0/2018/1398
दिनांक 6/7/18

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 193वीं बैठक दिनांक 27.12.2017 को N.S.E.Z. में स्थित औद्योगिक भूखण्डों के नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र(एन0एस0ई0जैड0) की यूनिट एप्रूवल कमैटी द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र को प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः-

1. N.S.E.Z. की Unit Approval Committee(U.A.C.) की आगामी बैठको में प्राधिकरण से सहयुक्त वास्तुविद/सहयुक्त नगर नियोजक के साथ नियोजन सहायक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनके द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित प्रपत्रों को पूर्ण करने की स्थिति में तत्काल deemed sanction किया जायेगा-
   - i. भवन विनियमावली में उल्लेखित प्राविधानों तथा प्रपत्रों के साथ आबंटी द्वारा देय शुल्क(बी0पी0, मलवा शुल्क, ले-आउट शुल्क अन्य कर सहित) का डी0डी0 नौएडा के पक्ष में प्रस्तुत किया जायेगा ।
   - ii. यू0पी0 बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सस्ट्रक्सन्स वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान कर प्राप्ति रसीद, संलग्न कर आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।
   - iii. विभिन्न संस्थानों से आवश्यक अनापत्ति पत्र यथा-अग्निशमन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हेतु फार्म - 8ए,8बी, 8सी, भूजल दोहन न करने एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में वास्तुविद एवं आबंटी संस्था का संयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं नियमानुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से जाँचा गया अभिकल्प प्रस्ताव प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । इसके अतिरिक्त आबंटी को प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्गत दिशा - निर्देशों अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा ।
   - iv. आबंटी संस्था को N.S.E.Z. से वैद्य समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा ।
2. जिन प्रकरणों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति N.S.E.Z. यूनिट एप्रूवल कमैटी द्वारा पूर्व में प्रदान की गयी है, उन प्रकरणों में आबंटी यदि पुनरीक्षित भवन मानचित्र, पुर्नवैधीकरण, क्रय योग्य एफ0ए0आर0 तथा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करता है तो उन प्रकरणों में बिना आवेदन के निर्माण शुल्क लिए भवन मानचित्र निम्न शर्त के साथ स्वीकृत माना जायेगा -
   - i. आबंटी को आबंटन, पट्टा प्रलेख व भवन विनियमावली के प्राविधानों का पालन करना होगा ।
   - ii. स्थल पर भवन विनियमावली के प्राविधानो के विपरीत अनधिकृत निर्माण होने की दशा में आवेदक द्वारा अनाधिकृत निर्माण हटाने के उपरांत ही भवन मानचित्र स्वीकृत माना जायेगा ।

अतः भविष्य में एन०एस०ई०जैड० में स्थित भूखण्डों के भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्था के अनुरूप की जायेगी ।

(ए0के श्रीवास्तव)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फेस - II, नौएडा को सूचनार्थ ।
3. सम्बन्धित सभी अधिकारी/कर्मचारी को अनुपालनार्थ ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा